प्रेस नोट संख्या-18

दिनांक- 09.07.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेडखानी व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 8,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 215/19 धारा 354/504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गौरीगंज के अभियुक्त राहुल उर्फ रवि कुमार पुत्र राम खेलवान नि0 मयास थाना जामों जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 09.07.2024 को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रु0 अर्थदण्ड, धारा-354 भादवि मे 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 18.05.2019 समय 11.35 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त राहुल उर्फ रवि कुमार पुत्र राम खेलवान नि0 मयास थाना जामों जनपद अमेठी द्वारा स्कूल जाते समय गाली देना व जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठाने का प्रयास करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 215/19 धारा 323/504/506/354/ 354ख/363/511 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गौरीगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-230 दिनांक 02.08.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।